कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः–2506 / **FP/UK/Others/33453/2018** देहरादूनः दिनांकः 13 ~~जनवरी,~~ मार्च 2019

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–देहरादून के अन्तर्गत चकराता वन प्रभाग में हरबर्टपुर–नैनबाग मोटर मार्ग (राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या–123 (नया–507)) के कि.मी.11.00 से कि.मी. 44.00,कालसी–माख्टी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–20) के कि.मी.0.00से कि.मी.29.00,चकराता–लोहारी मोटर मार्ग (राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या–707ए) के कि.मी. 61.00 से कि.मी. 93.00, आरक्षित वन भूमि–33.00 कि.मी.,सिविल एवं सोयम भूमि–35.0कि.मी.,वन पंचायत भूमि–0.00 कि.मी.एवं नाप भूमि–26.00 कि.मी., कुल लम्बाई 94.00 कि.मी. एवं 0.9485 हे0 में ट्रेन्च / एच.डी.डी. तकनीकी के माध्यम से भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु 0.68 हे0 वन भूमि रिलायन्स जियो इन्फोकॉम को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में **(Online file no - FP/UK/Others/33453/2018)**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि **जनपद–देहरादून के अन्तर्गत चकराता वन प्रभाग में हरबर्टपुर–नैनबाग मोटर मार्ग (राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या–123 (नया–507)) के कि.मी.11.00 से कि.मी. 44.00,कालसी–माख्टी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–20) के कि.मी.0.00से कि.मी.29.00,चकराता–लोहारी मोटर मार्ग (राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या–707ए) के कि.मी. 61.00 से कि.मी. 93.00, आरक्षित वन भूमि–33.00 कि.मी. ,सिविल एवं सोयम भूमि–35.0 कि.मी.,वन पंचायत भूमि–0.00 कि.मी.एवं नाप भूमि–26.00 कि.मी., कुल लम्बाई 94.00 कि.मी.एवं 0.9485 हे0 मे ट्रेन्च / एच.डी.डी. तकनीकी के माध्यम से भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु 0.68 हे0 वन भूमि रिलायन्स जियो इन्फोकॉम को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में** वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने का वन भूमि प्रस्ताव आनलाईन प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के अनुसार विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता, एवं वन संरक्षक यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की गई है। चूँकि प्रश्नगत कार्य भारत सरकार की परियोजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु व्यापक जनहित में किया जा रहा है। अतः वन भूमि के कथित प्रयोजन हेतु अनुमति दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित परियोजना का क्षेत्रफल 1.00 हे0 से कम है तथा क्षेत्र किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत नहीं आता है। प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में वृक्षों का पातन निहित नहीं है।

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या–11–568 / 2014 एफ.सी. दिनांक–02.02.2015 के द्वारा भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने की अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। (संलग्नक–1) मा0 उच्चतम न्यायलय के आदेश दिनांक 24.05.2008 एवं आदेश दिनांक 09.05.2008 तथा तत्तक्रम में भार सरकार के पत्रांक 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02. 2009 (संलग्नक–2) के द्वारा कतिपय प्रयोजनों हेतु एन0पी0वी0 की देयता से छूट प्रदान की गयी है, जिसके अन्तर्गत विषयांकित परियोजना भी आती है। अतः उक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत **जनपद–देहरादून के अन्तर्गत चकराता वन प्रभाग में हरबर्टपुर–नैनबाग मोटर मार्ग (राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या–123 (नया–507)) के कि.मी.11.00 से कि.मी. 44.00,कालसी–माख्टी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–20) के कि.मी.0.00से कि.मी.29. 00,चकराता–लोहारी मोटर मार्ग (राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या–707ए) के कि.मी. 61.00 से कि.मी. 93.00, आरक्षित वन भूमि–33.00 कि.मी.,सिविल एवं सोयम भूमि–35.0कि.मी.,वन पंचायत भूमि–0.00 कि.मी.एवं नाप भूमि–26.00 कि.मी., कुल लम्बाई 94.00 कि.मी.एवं 0.9485 हे0 में ट्रेन्च / एच.डी.डी. तकनीकी के माध्यम से भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु 0.68 हे0 वन भूमि रिलायन्स जियो इन्फोकॉम को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में** प्रस्ताव की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुमति प्रदान करने हेतु संस्तुति की जाती है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(अनूप मलिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

ख्या / **FP/UK/Others/33453/2018 तददिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी –देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
3. RELIANCE JIO, Plot no 32, IT Park, sahastradhara road dehradun

(अनूप मलिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी